



# ये हैं बुन्देलखण्ड

भाग-दो



संपादक  
लक्ष्मी पाण्डेय



परामर्श  
सुरेश आचार्य

# ये है बुन्देलखण्ड

भाग-दो

सम्पादक

लक्ष्मी पाण्डेय

परामर्श

सुरेश आचार्य





वैधानिक चेतावनी  
पुस्तक के किसी भी अंश के प्रकाशन, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपयोग के लिए लेखक व प्रकाशक की लिखित अनुमति आवश्यक है। पुस्तक में प्रकाशित आलेख/आलेखों के सर्वाधिकार मूल रचनाकार/रचनाकारों के पास सुरक्षित हैं। पुस्तक में व्यक्त विचार पूर्णतया लेखक/लेखकों अथवा सम्पादक/सम्पादकों के हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रकाशक इन विचारों से पूर्ण या आंशिक रूप से सहमति रखे। किसी भी विवाद के लिए न्यायालय दिल्ली ही मान्य होगा।

© डॉ. लक्ष्मी पाण्डेय

प्रथम संस्करण : 2020

ISBN 978-93-89341-78-2

प्रकाशक

**अनुजा बुक्स**

1/10206, लेन नं. 1E, वेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110 032

e-mail : [anuugyabooks@gmail.com](mailto:anuugyabooks@gmail.com) • [salesanuugyabooks@gmail.com](mailto:salesanuugyabooks@gmail.com)

फोन : 011-22825424, 09350809192

[www : anuugyabooks.com](http://www.anuugyabooks.com)

मूल्य : 900 रुपये

आवरण

असरार अहमद, सागर

मुद्रक

अर्पित प्रिंटोग्राफर्स, दिल्ली-32

24 / ये है बुन्देलखण्ड : भाग - दो

- 225 डॉ. रामचन्द्र 'सरस' सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड पर एक नजर  
 230 गुप्तेश्वर द्वारका गुप्त बुन्देली बारहमासी  
 241 डॉ. सुधा गुप्ता 'अमृता' बुन्देली साहित्य में भविष्यवाणियाँ  
 249 डॉ. सुधा गुप्ता 'अमृता' बुन्देलखण्ड में विवाह और डलिया समरोटी की परम्परा  
 253 डॉ. छाया चौकसे बुन्देलखण्ड में प्रचलित लोकोक्तियाँ  
 267 डॉ. सबीहा ताबीर बुन्देलखण्ड के ऋतु गीत  
 277 डॉ. सुजाता मिश्र बुन्देलखण्ड की छावनियाँ  
 287 डॉ. निशा जैन आत्मा का शृंगार : गोदना (टैटू)  
 294 डॉ. घनश्याम भारती बुन्देलखण्ड के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान (सागर सम्भाग के सन्दर्भ में)

### ‘स’ – पूर्वजों के कोठार से

- 307 स्व. श्री कृष्ण बलदेव वर्मा बुन्देलखण्डीय इतिहास के साधन  
 318 बनारसीदास चतुर्वेदी बेतवा की पुकार  
 322 श्री अम्बिकाप्रसाद वर्मा 'दिव्य' भीम कुंड की यात्रा (प्रकृति का अन्तःपुर)  
 324 श्री रामसेवक रिछारिया बरुआ सागर की नव निधियाँ  
 326 श्री गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' मेरा जन्म स्थान (तालबेहट)  
 331 श्रीयुत भगवानदास श्रीवास्तव नदनवारा (अद्भुत सरोवर)  
 333 श्री पं. सुखराम 'त्रिवेदी' जेरोन का एक प्राचीन मन्दिर  
 336 साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय  
 339 ये है बुन्देलखण्ड' के भाग-एक, तीन और चार के लेखों के अनुक्रम की सूचियाँ

# बुन्देलखण्ड की छावनियाँ

डॉ. सुजाता मिश्र

‘छावनी’ अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘कंटोनमेंट’ का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द ‘कैंटोन’ से हुई है। फ्रेंच में ‘कैंटोन’ का अर्थ है किसी राज्य अथवा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ सेना अथवा पुलिसकर्मियों का निवास-स्थान हो। एक छावनी क्षेत्र में आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सेना की टुकड़ियों के अतिरिक्त आवश्यक अस्त्र-शस्त्र, हथियार, गोला-बारूद, टैंक, मिलिट्री अस्पताल आदि मौजूद रहते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अपने आधुनिक रूप में मौजूद छावनियों का निर्माण भारत में ब्रिटिश शासन की देन है। अपने व्यापार को सुचारु रूप से चलाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत देश के अलग-अलग राज्यों में अपने कंटोनमेंट स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि सम्बन्धित क्षेत्र की बाहरी सीमा पर भी उनका कब्जा हो जाए, और क्षेत्र की तमाम आवाजाही उनकी ही निगरानी में हो।

## भारत में छावनी का इतिहास

यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि भारत में ब्रिटिश राज्य से पूर्व सैनिक छावनी जैसा कुछ मौजूद ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत से पूर्व भारत में भारतीय राजाओं और फिर मुगल बादशाहों के शासन के दौरान भी उनकी सेना और सैन्य हथियारों के लिए बसाहट और रख-रखाव के पुख्ता इन्तजाम किए जाते थे। आज भी यदि हम प्राचीन भारतीय किलों और महलों को देखें तो हम वहाँ सैन्य अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के रहने और सैन्य हथियारों के भंडारण हेतु बनाए गए ‘दुर्ग’ देख सकते हैं। हम रामचरितमानस और महाभारत में भी ऐसे सैन्य दुर्गों का विस्तार से वर्णन पाते हैं। ‘महाभारत’ में तो सेना के प्रकारों, युद्धनीतियों, शस्त्रशालाओं का वर्णन काफी विस्तार से मिलता है। ‘मनुस्मृति’ और ‘महाभारत’ दोनों में कोष (धन), सेना, अस्त्र, शिल्पी, ब्राह्मण, वाहन, तृण, जलाशय अन्न इत्यादि का ‘दुर्ग’ के भीतर ही

रहना आवश्यक कहा गया है। यानी भारतीय परम्परानुसार निर्मित 'दुर्ग क्षेत्र' में भी बाकायदा एक भरी-पूरी कालोनी की व्यवस्था रहती थी। मनुस्मृति में हमें छः प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है—देखें—(मनुस्मृति 7.70-71)

धन्वदुर्ग महीदुर्गम् अब्दुर्ग वार्क्षम् एव वा।

नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत् पुरम्॥

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्।

एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते॥

अर्थात् —

- (1) धनुदुर्ग— जिसके चारों ओर निर्जल (रेगिस्तान) प्रदेश हो,
- (2) महीदुर्ग— जिसके चारों ओर ऊबड़-खाबड़ जमीन या पठार हो।
- (3) जलदुर्ग— जिसके चारों ओर जल हो,
- (4) वृक्षदुर्ग— जिसके चारों ओर घने वृक्ष हों,
- (5) नरदुर्ग— मैदानी क्षेत्र जिसके चारों ओर सेना हो,
- (6) गिरिदुर्ग— जिसके चारों ओर पहाड़ हो या जो पहाड़ पर हो।

अग्निपुराण, कल्किपुराण आदि में भी दुर्गों के उपरोक्त छह भेद बतलाए गए हैं। यानी अलग-अलग जरूरतों के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर अनेक प्रकार की छावनियों का निर्माण करना भारतीय परम्परा में शुरुआत से ही रहा है।

## भारत में ब्रिटिश छावनी की शुरुआत

हालाँकि ब्रिटिश व्यापारी आरम्भ में यहाँ केवल व्यापार के उद्देश्य से आए थे, व्यापार के दौरान ही उन्हें भारत की कमजोर पड़ती राजनीतिक व्यवस्था का अन्दाज़ होने लगा। जिसके कारण उन लोगों ने भारत में रहकर ही अपना व्यापार बढ़ाने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने कई भारतीय राजाओं से विभिन्न समझौते और सन्धियाँ भी कीं, और व्यापार से धीरे-धीरे देश की राजनीति पर भी कब्जा जमाने लगे। कम्पनी का वर्चस्व बढ़ते देख लॉर्ड क्लाइव ने सलाह दी कि भारत में ही ईस्ट इंडिया कम्पनी की फौज के रहने की व्यवस्था कहीं ऐसे स्थानों पर की जाए जहाँ से आयात-निर्यात करना आसान हो और जहाँ आम नागरिकों की पहुँच भी सीमित हो। सन् 1757 में हुए 'प्लासी युद्ध' के बाद जब अंग्रेजों को भारत में पाँव जमाने की जगह मिली तो उन्होंने बैरकपुर में पहला सैन्य अड्डा बनाया। कोलकाता से

कुछ दूर हुगली नदी के हरीतिमा भरे सुरम्य तट को देखकर अंग्रेजों को अपने इंग्लिश कंट्रीसाइड की याद आई और उन्होंने यहीं धीरे-धीरे बँगले और इमारतें बनाई, और यहीं पर अपनी पहली सैन्य टुकड़ी के रहने और सैन्य हथियारों के भंडारण की व्यवस्था की... इसीलिए इस स्थान का नाम 'बैरकपुर' पड़ गया।

जैसे-जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें फैलने लगीं, वैसे-वैसे कंटोनमेंट क्षेत्र का प्रयोग भी अधिक व्यापक रूप में किया जाने लगा। अब कंटोनमेंट क्षेत्र को बाकायदा एक सर्वसुविधायुक्त, स्वच्छ, स्वतन्त्र छोटी 'कालोनी' के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के रहने और काम-काज हेतु सर्वसुविधा-युक्त भवन और परिसर का निर्माण किया जाता था, इस छावनी परिसर में ही अधिकारियों के रहने, खाने-पीने, मनोरंजन आदि की तमाम सुविधाएँ मौजूद रहती थीं, ताकि उन्हें जरूरत का हर सामान अपने परिसर में ही मिल जाए। साथ ही परिसर में निवासरत अधिकारियों की सेवा में नियुक्त सेवकों से लेकर सुरक्षाकर्मियों और सैन्यकर्मियों तक के निवास का पूरा बन्दोबस्त भी छावनी क्षेत्र में ही किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेना के ये 'छावनी परिसर' आम नागरिकों से अलग, आम नागरिकों से बेहतर जीवन-शैली का पर्याय बन गई थी।

वर्तमान में भारत में कुल 62 सैन्य छावनियाँ हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—आगरा, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, बरेली, चकराता, क्लीमेंट टाउन, दानापुर, देहरादून, फैजाबाद, फतेहगढ़, जबलपुर, कानपुर, लैंडोर, लैंसडाउन, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, महू, नैनीताल, पंचमढ़ी, रामगढ़, रानीखेत, रुड़की, शाहजहाँपुर, वाराणसी, बैरकपुर, शिलांग, जलापहाड़, लेबाँग बदामीबाग, अहमदाबाद, अहमदनगर, अजमेर, औरंगाबाद, बबीना, बेलगाम कन्नानोर, देहूरोड, देवलाली, झाँसी, काम्पटी, किरकी, मोरार, नसीराबाद, पुणे, सागौर, सिकन्दराबाद, सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम, वेलिंगटन, अम्बाला, अमृतसर, बकलोह, दगशई, डलहौजी, दिल्ली, फिरोजपुर, जालन्धर, जम्मू जुटोघ, कसौली, खासयोल, सुबाथू। हम देख सकते हैं कि इनमें से 13 छावनियाँ उत्तरप्रदेश में हैं और पाँच छावनियाँ मध्यप्रदेश में हैं और इस प्रकार वर्तमान बुन्देलखण्ड क्षेत्र के भीतर हम बबीना, झाँसी, सागर और नौगाँव छावनी क्षेत्र को शामिल करते हैं। हालाँकि नौगाँव छावनी अब छावनी रूप में सक्रिय नहीं है।

‘बुन्देलखण्ड’ मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। उत्तरप्रदेश के दक्षिणी भू-भाग को व मध्यप्रदेश के उत्तरी भू-भाग को मिलाकर बुन्देलखण्ड की रचना हुई है। इतिहास पर नज़र डालने पर हम देखते हैं कि बुन्देलखण्ड की सीमाएँ महाराजा छत्रसाल के समय तक अत्यन्त व्यापक थीं, इस प्रदेश में उत्तरप्रदेश के झाँसी, हमीरपुर, जालौन, बाँदा, मध्यप्रदेश के सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला तथा मालवा संघ के शिवपुरी, कटेरा, पिछोर, कोलारस, भिंड, लहार और मोंडेर के जिले और परगने शामिल थे। इस पूरे भू-भाग का क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्गमील था। अंग्रेजी राज्य में आने से पूर्व बुन्देलखण्ड में अनेक जागीरें और छोटे-छोटे राज्य थे। बुन्देलखण्ड कमिश्नरी का निर्माण सन् 1820 में हुआ। सन् 1834 में जालौन, हमीरपुर, बाँदा के जिलों को उत्तरप्रदेश और सागर के जिले को मध्यप्रदेश में मिला दिया गया, जिसकी देख-रेख आगरा से होती थी। सन् 1839 में सागर और दमोह जिले को मिलाकर एक कमिश्नरी बना दी गई जिसकी देखरेख झाँसी से होती थी। कुछ दिनों बाद कमिश्नरी का कार्यालय झाँसी से नौगाँव आ गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के साथ ही भारतीय शासन-व्यवस्था का स्वरूप और कार्यशैली भी बदलने लगी। अब हर राज्य और जिले की अपनी स्वतन्त्र शासन-व्यवस्था की जगह एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा, यानी नेतृत्व की मूल कमान ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रहे, और राज्य-जिले स्तर पर कार्यरत प्रशासन, राजे-रजवाड़े भी उसी केन्द्रीय इकाई के अनुसार चले। अपने इस मन्तव्य की पूर्ति हेतु ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी प्रशासनिक इकाइयों का गठन शुरू किया। जिसमें भारतीय राजा-महाराजाओं की विशाल सेना की बराबरी में अपनी खुद की सेना (मिलिट्री) का गठन करना पहली आवश्यकता थी। क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि अंग्रेज यहाँ केवल व्यापार करने नहीं आए, बल्कि यहाँ कब्जा करने, राज करने और बसने आए हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में ऐसी अनेक सैनिक छावनियाँ बनाई गईं जहाँ तमाम तरह की सेना, धन-सम्पत्ति और रक्षा सामग्री रख सकें। फौज का मुख्य काम ब्रिटिश सरकार के कार्य-व्यापार को सुचारु रूप से संचालित करवाना था, साथ ही आदेश मिलने पर सम्बन्धित क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशानुसार कार्यवाही करना था। 1857 का सैनिक विद्रोह ऐसे ही सैन्य छावनियों से शुरू हुआ था, जो बाद में जन आन्दोलन के रूप में परिणत हो गया। ब्रिटिश

सरकार द्वारा निर्मित ऐसे फौजी शिविरों में से अनेक शिविर स्वतन्त्रता के बाद के रूप में सक्रिय हैं।

1857 के सैनिक विद्रोह से लेकर वर्तमान सन्दर्भ में हम बुन्देलखण्ड की महत्वपूर्ण छावनियों के स्वरूप और महत्व को इस प्रकार समझ सकते हैं—

**झाँसी छावनी** — झाँसी भारत के उत्तरप्रदेश प्रान्त में स्थित एक प्रमुख बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने जिस नगरी से शौर्य और पराक्रम के झंडे गाड़े थे, उसे 'बलवन्त नगर' के नाम से जाना जाता था। यहाँ सन् 1605 से 1627 तक शासन करने वाले ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने 1613 में बँगरा नामक पहाड़ी पर किले का निर्माण कराया था, जिसे आज 'ओरछा किला' के रूप में जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का किला भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। उस समय राजा वीर सिंह ने इस पहाड़ी पर बने किले के आस-पास नगर बसाया, जिसे बलवन्त नगर नाम दिया था। इसके बाद बलवन्त नगर के नाम से सिक्के भी जारी हुए। मराठा शासन काल के दौरान बलवन्त नगर में एक टकसाल स्थापित किया गया था। टकसाल में मुगल शासकों द्वारा सोने-चाँदी के सिक्के ढालकर बनाए जाते थे, इन्हीं सिक्कों में से कई सिक्कों पर बलवन्त नगर लिखा था, जो आज भी पुरातात्विक विभाग के संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। कहते हैं एक दिन वीर सिंह जूदेव अपने पड़ोसी राज्य जैतपुर के राजा के साथ किले के बुर्ज पर बैठे हुए थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इस दौरान जैतपुर के राजा को ओरछा किले से बलवन्त नगर में बना किला बिल्कुल थोड़ा-सा, धुँधला-सा दिख रहा था, उन्होंने कहा कि बलवन्त नगर तो यहाँ से 'झाई-सी' दिख रहा है (बुन्देली में झाई-सी का अर्थ होता है 'थोड़ा-सा', 'हल्का-सा') राजा वीर सिंह को 'झाई-सी' शब्द बहुत पसन्द आया। इसके बाद यह प्रसंग बलवन्त नगर में काफी प्रचलित हो गया और धीरे-धीरे यह बलवन्त नगर का नाम ही झाँसी पड़ गया।

सन् 1857 झाँसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के साथ ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने झाँसी को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया। गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाए जाने की माँग की। परन्तु

ब्रिटिश सरकार ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इन्कार कर दिया और झाँसी पर कब्जा कर लिया। इन्हीं परिस्थितियों के चलते झाँसी में सन् 1857 का संग्राम हुआ, जो कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ।

झाँसी पर कब्जा कर ब्रिटिश सरकार ने झाँसी को अपने व्यापार का केन्द्र बनाया, और अपने व्यापारिक सौदों, आयात-निर्यात, माल भंडारण, सैन्य सुरक्षा के मददेनजर झाँसी में भी अपनी गुप्त छावनी बनाई, जो कि आज भी झाँसी सदर छावनी में स्थित है। जिसे स्टार फोर्ट किले के नाम से जाना जाता है। बेहद सुरक्षित और गुप्त माना जाने वाला 'स्टार फोर्ट' 7 एकड़ में बना है जिसका प्रयोग गोला-बारूद, हथियार सहित धन-सम्पत्ति आदि बहुमूल्य वस्तुएँ रखने हेतु किया जाता था। अंग्रेजों ने अपने खजाने और साजो-सामान की सुरक्षा की दृष्टि से इसे अभेद्य बनाया था। इसका निर्माण झाँसी, कानपुर और खजुराहो जाने वाली सड़कों के जंक्शन के नज़दीक किया गया। उस वक्त इस जंक्शन को **रिसाला चुंगी** कहा जाता था। इस छावनी में अंग्रेजों ने अपना विशाल कोषागार और विशाल शस्त्रागार भी बनाया। जमींदारों व राजाओं से वसूला जाने वाला लगान किले के कोषागार में रखा जाता था। लगान न देने पर अंग्रेजी सैनिक जमींदारों व राजाओं को फोर्ट की जेल में बन्द कर देते थे।

इतिहासकार **जानकी शरण वर्मा** बताते हैं, 7 एकड़ में बने 'स्टार फोर्ट' का निर्माण 1820 में हुआ था। इसके कैम्पस में 19 बड़े कक्ष बने हैं। इन कक्षों के ऊपर गुम्बद भी है, जिनमें बारूद की गैस निकलते रहने के लिए छेद बनाए गए थे, स्टार फोर्ट की वास्तुकला की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं:—

- इसकी वक्राकार छतें बंगाल में प्रचलित स्थापत्य शैली से काफी समानता रखती हैं।
- मुंडेर में लगाए गए शिलापट्टों पर फूल उकेरे गए हैं। छज्जे के नीचे का अलंकरण दो भागों में विभाजित है।
- पूरब की ओर से एक शिला पर बनाई गई एक आकृति सम्भवतः महाराज गंगाधर राव की है।
- यह मूल रूप से मुगलकालीन उद्यान से मिलती-जुलती एक वाटिका के बीच रही होगी।
- षड्कोणीय बनावट की वजह से यह तारे की तरह दिखता है, इसी कारण इसको स्टार फोर्ट का नाम मिला।

- जब पर्यटक इसके पास जाते हैं तो इसका आकार समझ में नहीं आता और यह आम भवन की तरह ही दिखता है।
- इसका सही रूप देखने के लिए सेटेलाइट का सहारा लेना पड़ता है।

1857 में 4-5 जून की आधी रात को कैवेलरी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वहाँ रखी दो बड़ी तोपों सहित पूरे किले पर कब्जा कर लिया। आजादी के बाद से ही ये सेना के संरक्षण में है। पर्यटकों के लिए यह किला वर्ष में केवल दो दिन के लिए ही खुलता है, पर्यटक केवल 4-5 जून को शाम 4 बजे से-5:30 तक स्टार फोर्ट में जा सकते हैं।

**बबीना छावनी**— देश के राजनीतिक नक्शे पर बबीना छावनी बुन्देलखण्ड क्षेत्र, उत्तरप्रदेश में स्थित है और यह एक ऐसा गाँव है, जिसने सेना की मौजूदगी के कारण एक छोटी बस्ती का रूप ले लिया है। 'बबीना' दरअसल 'ब्रिटिश आर्मी बेस इन नॉर्थ एशिया' का संक्षिप्त रूपान्तरण है। बबीना छावनी की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने अपनी सैन्य गतिविधियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए की थी। वर्ष 1947 में आजादी के साथ ही इस छावनी पर भारत सरकार का अधिकार हो गया। आगे चलकर छावनी को विस्तार देते हुए 22 अगस्त, 1959 को 'बबीना कैंट' स्थापित किया गया। यह झाँसी से 26 किलोमीटर दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 पर स्थित है। बबीना एक बेहद स्वच्छ, सुव्यवस्थित छावनी है जिसके अन्तर्गत छावनी स्कूल, अस्पताल सहित तमाम अन्य सुविधाएँ-सेवाएँ मुहैया कराई जा रही हैं।

**नौगाँव छावनी** —मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में नौगाँव तहसील देश की पहली स्मार्ट सिटी थी जिसे अंग्रेजों ने बनाया था और यह भी इत्तिफाक है कि 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की असली सुगबुगाहट बुन्देलखण्ड की नौगाँव छावनी से हुई थी। नौगाँव अंग्रेजों के शासनकाल में बुन्देलखण्ड एजेन्सी का ब्रिटिश मुख्यालय भी था, अंग्रेजों की सैनिक छावनी रहे नौगाँव में अंग्रेजी हुकूमत के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। वर्ष 1842 में मिस्टर डब्ल्यू एस. स्लीमेन ने बिग्रेड सेना के सैनिकों के ठहरने के लिए नौगाँव छावनी की स्थापना की थी। सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर भारत के कोने-कोने से व्यापारी बुलाए गए। ब्रिटिश सैनिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यहाँ ग्वाल, दर्जी, कपड़ा व्यापारी, मोची सहित अन्य समाज के लोगों को यहाँ बसाया गया। नौगाँव को एक सुन्दर-सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें 192 चौराहें हैं

जो आपस में एक-दूसरी सड़क को मिलाते हैं। अपनी खूबसूरती, स्वच्छता और सुविधाओं के कारण नौगाँव को एक समय 'मिनी चंडीगढ़' के नाम से भी जाना जाता था।

नौगाँव कस्बे में अंग्रेजों के समय से स्थापित बंगले, चर्च, एजेन्सी हाउस, प्राचीन जेल, 193 चौराहे, मिलिट्री छावनी, पुराना टीबी अस्पताल सहित कई ऐतिहासिक चीजें इस कस्बे की प्राचीनता और समृद्धशाली स्वरूप को व्यक्त करते हैं। इतिहास से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 1842 से 1932 तक 36 रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट का कार्यालय नौगाँव में ही था, जिसके नियन्त्रण में अजयगढ़, सरीला, चरखारी, बिजावर, छतरपुर, लुगासी, गर्रोली, अलीपुरा, नैगुवाँ, कोहनिया, खनियाधाना, दतिया, समथर, कदौरा, बेरीखोड़ा, बिजना, दुरवई, बाँका पहाड़ी, ओरछा, गौरिहार, नागौद, जसों, सुहावल, मैहर, कोठी, बरौंधा, पालदेव, पहरा, तराओ, मसोंदा और कामता राजोर रियासतें आती थीं।

इन रियासतों के राजाओं के रुकने के लिए यहाँ 36 हाउस और 36 बंगले बनवाए गए थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। इन बंगलों के साथ ही 1963 में बनी पुरानी आर्मी चर्च, 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध में टर्की के सैन्य बन्दियों को रखने के लिए बनाई गई पुरानी जेल, 1905 में निर्मित सर्किट हाउस जैसी कई धरोहरें भी नौगाँव में मौजूद हैं जिनका उपयोग अब सरकारी कार्यालयों आदि के लिए किया जा रहा है।

रियासत कालीन गवर्मेंट प्रेस कार्यालय में वर्तमान में बालिका हरिजन छात्रावास है, वहीं रियासत कालीन सचिवालय अब प्राइमरी स्कूल और सर्जन ऑफिस वर्तमान में टीबी अस्पताल का रूप ले चुके हैं। इसके साथ ही उस समय का 'सिंचाई विभाग मुख्यालय' तथा 'चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का भवन' वर्तमान में सिविल अस्पताल के रूप में संचालित हैं। हाईकोर्ट भवन वर्तमान में कचहरी, आरटीओ कार्यालय भवन वर्तमान में सेलटैक्स ऑफिस, डीआईजी निवास का भवन अब केनाल कोठी हो गई।

इसके अलावा ब्रिटिश कालीन रेस्ट हाउस, पोलिटिकल एजेंट का बंगला, क्लब हाउस, पॉलिटिकल कॉलेज आज भी ज्यों-के-त्यों हैं। अपने भीतर इतिहास के स्वर्णिम पलों को सँजोए हुए नौगाँव आज भी एक सुव्यवस्थित-सुविकसित छोटे-से शहर के रूप में हमारे सामने मौजूद है।

**सागर छावनी** — 'सागर' जिला मध्यप्रदेश के उत्तर-मध्य क्षेत्र में स्थित है, ब्रिटिश काल के दौरान इसे सागौर के रूप में जाना जाता था। 'सागौर छावनी' की स्थापना वर्ष 1835 (1 सितम्बर, 1835) में हुई थी। शुरुआत समीकरण स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, पैदल सेना (थल सेना) और छोटे शस्त्रों के रखरखाव के लिए यह एक ब्रिटिश आर्मी स्टेशन था। 1858-59 में ब्रिटिश सत्ता के समेकन के बाद यूरोपीय थल सेना की एक रेजीमेंट सागर में तैनात की गई थी। बाद में जुलाई 1949 में थल सेना स्कूल को महु छावनी में स्थानान्तरित कर दिया गया और 'महार रेजिमेंटल सेंटर' को यहाँ स्थानान्तरित कर दिया गया। आज इस छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत आर्मी स्कूल, आर्मी थियेटर (शाहबाज थियेटर) केन्द्रीय विद्यालय, सहित मिलिट्री अस्पताल और कैंट शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हालाँकि अभी भी इस क्षेत्र में विकास और सुधार की अपार सम्भावनाएँ हैं और आवश्यकता है।

स्वतन्त्रता की लम्बी लड़ाई में बुन्देलखण्ड के राष्ट्रप्रेमियों का एक लम्बा इतिहास रहा है। बुन्देलखण्ड के विभिन्न जिले, नगर, गाँव आज भी अंग्रेजों के दमन और कुचक्रों के गवाह हैं। बुन्देलखण्ड के विभिन्न जिलों में आज भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित छावनियों, इमारतों के खण्डहर हैं, सैनिक विद्रोह की गवाही देते अनेक स्थल हैं, जो गवाह हैं जंग-ए आज़ादी में बुन्देलखण्ड की शहादत का। साथ ही अनेक चर्च, पुल, इमारतें ब्रिटिश वास्तुकला की खूबसूरती और मजबूती का भी प्रतीक हैं, जिन्हें सहेजने की और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि बुन्देलखण्ड की आने वाली पीढ़ियाँ और देश भी बुन्देलखण्ड के इस साँस्कृतिक गौरव को पहचान सके।

## सन्दर्भ

1. शोधगंगा — <https://sg.inflibnet.ac.in>
2. बुन्देलखण्ड डॉट इन — <http://bundelkhand.in/>
3. विकीपीडिया: [wikipedia.org/wiki/Category:Cantonments\\_of\\_India&sa](http://wikipedia.org/wiki/Category:Cantonments_of_India&sa)
4. <https://www.dgde.gov.in/>

5. [blogs.lse.ac.uk/southasia/2013/11/01/understanding-empire-through-the-space-of-the-cantonment-in-19th-century-india/&sa](https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2013/11/01/understanding-empire-through-the-space-of-the-cantonment-in-19th-century-india/&sa)
6. <https://www.ugtabharat.com/>
7. [bhaskar.com](http://bhaskar.com)
8. <http://ignited.in/>
9. [www.amarujala.com](http://www.amarujala.com)
10. [jhansi.nic.in](http://jhansi.nic.in)

सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक)  
(हिन्दी विभाग), डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर, मध्यप्रदेश